

“आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI (3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1वर्ष 2018) कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-E-25478/3(11) 2010,NO-369/XIII-1/23 दिनांक 08.04.2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 10 मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री विपिन रतूडी अ0स0अ0वर्ग-1	जिलाधिकारी टिहरी	जिलाधिकारी चमोली	जनहित

श्री विपिन रतूडी, अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री रतूडी का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

-६०१-

(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1627 /स्था०अनु०-1/सांख्यिकी/वार्षिक स्थानान्तरण/2023-24/दिनांक 9-6-2023

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री विपिन रतूडी, अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1, द्वारा-जिलाधिकारी टिहरी।
2. जिलाधिकारी टिहरी गढवाल को इस अनुरोध के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री विपिन रतूडी अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करे।
3. जिलाधिकारी चमोली को इस अनुरोध के साथ कि सम्बन्धित कार्मिक की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करेंगे।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/ मुख्य कोषाधिकारी।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, सांख्यिकी, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
6. अपर कृषि निदेशक, गढवाल मण्डल पौड़ी।
7. गार्ड पत्रावली।

09/6/23

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

“आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1वर्ष 2018) कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-E - 25478/3(11)2010, NO-369/XIII-1/23 दिनांक 08.04.2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX (2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 10मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्रीमती कुसुमा रावत अ०स०अ०वर्ग-1	जिलाधिकारी चमोली	जिलाधिकारी टिहरी	जनहित

श्रीमती कुसुमा रावत, अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1, को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्रीमती रावत का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

—६०१—

(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1628 /स्था०अनु०-1/सांख्यिकी/वार्षिक स्थानान्तरण/2023-24/दिनांक ०५-०६-2023
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती कुसुमा रावत, अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1, द्वारा जिलाधिकारी चमोली।
2. जिलाधिकारी चमोली को इस अनुरोध के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती कुसुमा रावत अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करे।
3. जिलाधिकारी टिहरी को इस अनुरोध के साथ कि सम्बन्धित कार्मिक की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करेगे।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, सांख्यिकी, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
6. अपर कृषि निदेशक, गढवाल मण्डल पौड़ी।
7. गार्ड पत्रावली।

09/06/23

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

“आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1वर्ष 2018) कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-E - 25478/3(11)2010, NO-369/XIII-1/23 दिनांक 08.04.2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX (2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 10मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्रीमती दीप्ती जोशी अ0स0अ0वर्ग-1	जिलाधिकारी अल्मोडा	संयुक्त कृषि निदेशक कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी	निजी अनुरोध


श्रीमती दीप्ती जोशी अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्रीमती जोशी का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

-६०।-
(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ 1629 /स्था०अनु०-1/सांख्यिकी/वार्षिक स्थानान्तरण/2023-24/दिनांक ०९-०६-2023
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती दीप्ती जोशी अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1, द्वारा जिलाधिकारी अल्मोडा।
2. जिलाधिकारी अल्मोडा को इस अनुरोध के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती दीप्ती जोशी अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 को आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करेंगे।
3. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी को इस अनुरोध के साथ कि सम्बन्धित कार्मिक की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करेंगे।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, सांख्यिकी, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
6. गार्ड पत्रावली।


उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

“आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1वर्ष 2018) कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-E-25478/3(11)2010, NO-369/XIII-1/23 दिनांक 08.04.2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX (2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 10मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री अशोक कुमार अ0स0अ0वर्ग-1	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड	जिलाधिकारी अल्मोडा	निजी अनुरोध

श्री अशोक कुमार अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री अशोक कुमार का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

—६०१—
(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1630 /स्था०अनु०-1/सांख्यिकी/वार्षिक स्थानान्तरण/2023-24/दिनांक 09-6-2023

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री अशोक कुमार अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1, को आदेश अनुपालनार्थ।
2. जिलाधिकारी अल्मोडा को इस अनुरोध के साथ कि सम्बन्धित कार्मिक की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करेगे।
3. स्थापना सहायक कृषि निदेशालय।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. मुख्य कोषाधिकारी, साइवर ट्रेजरी देहरादून।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, सांख्यिकी, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
7. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी।
8. गार्ड पत्रावली।

09/6/23
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

“आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1वर्ष 2018) कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-E-25478/3(11)2010, NO-369/XIII-1/23 दिनांक 08.04.2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 10मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के क्रम में श्री मदन सिंह बिष्ट अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार एवं श्री उत्तम सिंह अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 कार्यालय जिलाधिकारी उधमसिंह नगर का पारस्परिक स्थानान्तरण निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री मदन सिंह बिष्ट अ०स०अ०वर्ग-1	जिलाधिकारी हरिद्वार	जिलाधिकारी उधमसिंह नगर	पारस्परिक
2	श्री उत्तम सिंह अ०स०अ०वर्ग-1	जिलाधिकारी उधमसिंह नगर	जिलाधिकारी हरिद्वार	

श्री मदन सिंह बिष्ट एवं श्री उत्तम सिंह अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री बिष्ट एवं श्री सिंह का पारस्परिक स्थानान्तरण किया जा रहा है, जिस हेतु इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिकों का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

-६०१-


(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 163 /स्था०अनु०-1/सांख्यिकी/ वार्षिक स्थानान्तरण/2023-24/दिनांक ०९-०६-2023

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री मदन सिंह बिष्ट अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1, द्वारा जिलाधिकारी हरिद्वार।
2. श्री उत्तम सिंह अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1, द्वारा जिलाधिकारी उधमसिंहनगर।
3. जिलाधिकारी हरिद्वार/उधमसिंह नगर को इस अनुरोध के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री मदन सिंह बिष्ट एवं श्री उत्तम सिंह अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करेंगे, तथा सम्बन्धित कार्मिकों की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करेंगे।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, सांख्यिकी, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊ मण्डल हल्द्वानी।
7. अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
8. गार्ड पत्रावली।


उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

“आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1वर्ष 2018) कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-E -25478/3(11)2010, NO-369/XIII-1/23 दिनांक 08.04.2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX (2)/E-33080/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 10 मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री प्रदीप चन्द्र जोशी अ०स०अ०वर्ग-1	सहायक निदेशक प्रदर्शन सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र कृषि निदेशालय देहरादून।	जिलाधिकारी उधमसिंहनगर	निजी अनुरोध

श्री प्रदीप चन्द्र जोशी, अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री जोशी का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

-६०१-

(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1632 /स्था०अनु०-1/सांख्यिकी/वार्षिकस्थानान्तरण/2023-24/दिनांक ०९-०६-2023
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री प्रदीप चन्द्र जोशी अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-1, द्वारा सहायक निदेशक प्रदर्शन सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र कृषि निदेशालय देहरादून।
2. सहायक निदेशक प्रदर्शन, सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र कृषि निदेशालय देहरादून।
3. स्थापना सहायक कृषि निदेशालय।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. मुख्य कोषाधिकारी, साइवर ट्रेजरी देहरादून।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, सांख्यिकी, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
7. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी।
8. जिलाधिकारी उधमसिंह नगर को इस अनुरोध के साथ कि सम्बन्धित कार्मिक की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करेगे।
9. गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून